



न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर, म.प्र.
द्वितीय अपील प्रकरण क्र. /2018-19

अपील-0562/2019/शिवपुरी/भूराज

श्री विनायक सागर कौशिक
दिनांक 29-4-19
प्रस्तुत/प्रतिदिन
दिनांक 14-5-19

श्री 9/4/19

रामू पुत्र श्री धीरा उर्फ धीरज, आयु-
70 वर्ष, निवासी- ग्राम सिंघराई
तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--अपीलार्थी

विरुद्ध
मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
शिवपुरी (म.प्र.) ----प्रत्यर्थी

न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)
द्वारा प्रकरण क्र. 0540/2017-18/अपील में आदेश
दिनांक 09/04/2019 के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता
1959 की धारा 44(2) के अधीन द्वितीय अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

- यहकि, अपीलार्थी के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 330, 348, 349 एवं 350 कुल किता 4 कुल रकबा 2.910 हे. ग्राम जूर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी में स्थित है।
- यहकि, अपीलार्थी की अन्य कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 603 रकबा 0 520 हे. एवं सर्वे क्रमांक 177/1 रकबा 0.380 हे., सर्वे क्रमांक 177/3 रकबा 0.380 हे., सर्वे क्रमांक 179 रकबा 1.570 हे. सर्वे क्रमांक 94/1/7 रकबा 0.500 हे., सर्वे क्रमांक 177/2 रकबा 0.300 हे. कुल किता 6 कुल रकबा 3.380 हे. ग्राम सिंघराई तहसील कोलारस जिला शिवपुरी में स्थित है।
- यहकि, अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय के समक्ष ग्राम जूर की भूमि की विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। विद्वान कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/अ-12/2014-15 द्वारा आवेदन आदेश दिनांक 10/04/2018

श्री 23/4/19
श्री 29-04-2019
श्री 29-04-2019

(8)

रामू | आसन

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक A 0562/2019/1214477/2-21

3-6-19

— आवेदक काँठ
 में आरठ की बातें छुपे।
 आवेदक काँठ का निवेदन
 कि मैं जमा कि प्रकृष्ट
 को आगे नहीं चलाया
 पाऊँ। आवेदक काँठ
 के निवेदन पर प्रकृष्ट इसी
 स्तर पर नोट्स के समान
 किमा जाता है प्रकृष्ट
 दायित्व रिकार्ड है।

मेरा

3-6-19

3